



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1081]
No. 1081]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

का.आ. 1892(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खंड 3 के उप-खंड (1) और खंड 3ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित को प्रतिबंधित करती है,

(i) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) को दृष्टिगत रखते हुए, सभी देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों का आयात, नामतः

:-

- (क) घरेलू तथा जंगली पक्षी (कुक्कुट तथा केंपिब पक्षियों को छोड़कर);
- (ख) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों से अप्रसंस्कारित मांस एवं मांस उत्पाद (कुक्कुट को छोड़कर);
- (ग) घरेलू एवं जंगली पक्षियों का वीर्य ।

(ii) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) सूचित करने वाले देशों से भारत में पशुधन और पशुधन उत्पादों का आयात, नामतः :-

- (क) जीवित कुक्कुट तथा केंपिब पक्षी ;
- (ख) एक दिन के चूजे बत्तख, टर्की और अन्य नवजात चूजा प्रजातियां;

- (ग) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का मांस एवं मांस उत्पाद;
- (घ) हैचिंग अण्डे;
- (ङ) अण्डा तथा अण्डा उत्पाद (विशेषकर पैथोजेन मुक्त अण्डों को छोड़कर);
- (च) पंख;
- (छ) जीवित सूअर तथा सूअर मांस उत्पाद;
- (ज) पैथोलॉजिकल सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद;
- (झ) पशु खाद्य या कृषि या औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से (पक्षियों से) पशु आधारित उत्पाद ;

बशर्ते कि यह प्रतिबंध साउथ एशियन एसोशिएशन क्षेत्रीय सहयोग सदस्य देशों के विशेष अनुरोध पर नैदानिक एवं अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पैथोलॉजिकल सामग्री तथा जैविकीय उत्पादों के आयात पर लागू नहीं होगा ;

बशर्ते कि यह प्रतिबंध आयात के लिए प्रसंस्कृत पालतू पशु आहार, जिसमें एवियन प्रजातियों व सूअर का मीट तथा मीट उत्पाद तथा पशु मूल (पक्षियों से) आधारित उत्पाद पशु आहार में इस्तेमाल के इरादे से शामिल हैं, के लिए लागू नहीं होंगे।

2. यह प्रतिबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि तक या ऐसे समय में संशोधन अथवा वापसी तक जो भी पहले हो, लागू रहेगा ।

[फा. सं. 109-21/2007-ट्रेड]
अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2008

S.O. 1892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Live-Stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits, with effect from the date of publication of this notification,

(i) the import into India from all countries in view of notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic notifiable Avian Influenza), the following livestock and livestock products, namely :—

- (a) domestic and wild birds (excluding poultry and captive birds),
- (b) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry);
- (c) semen of domestic and wild birds;

(ii) the import into India from the countries reporting notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic notifiable Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—

- (a) live poultry and captive birds;
- (b) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;

- (c) meat and meat products from Avian species including wild birds;
- (d) hatching eggs;
- (e) egg and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);
- (f) feathers;
- (g) live pig and unprocessed pig products;
- (h) pathological material and biological products from birds;
- (i) product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use :

Provided that the prohibition shall not be applicable on the import of pathological material and biological products for diagnostic and research purposes from South Asian Association for Regional Cooperation member countries on specific request :

Provided further that the prohibition shall also not be applicable on the import of processed pet food containing the ingredient of meat and meat products from avian species, pig and product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding.

2. The prohibition shall be in force for a period of six months from the date of publication of this notification or till such time it is modified or withdrawn, whichever is earlier.

[F. No. 109-21/2007-Trade]

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.